"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009"

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 298] रायपुर, सोमवार, दिनांक 5 अक्टूबर 2009—आश्विन 13, शक 1931

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 अक्टूबर 2009

अधिसूचना

क्रमांक/पं.-3813/पंग्राविवि/22/2009/1598.—छत्तीसगढ़ पंचायत (अपील तथा पुनरीक्षण) नियम, 1995 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 95 की उपधारा (1), सहपठित धारा 91 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, बनाना प्रस्तावित करती है; एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 95 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिये, प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर इस सूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सात दिवस का अवसान होने पर विचार किया जायेगा.

कोई आपत्ति या सुझाव जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट कालावधि के दौरान, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर (कक्ष क्रमांक 383) को कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा विचार किया जायेगा.

संशोधन प्रारूप

उक्त नियमों में :—

1. नियम 3 के खण्ड (ख) में शब्द "संचालक पंचायत" के स्थान पर शब्द "संभागीय आयुक्त" प्रतिस्थापित किया जाय.

2. नियम 3 के खण्ड (ग) में शब्द "संचालक पंचायत" के स्थान पर शब्द "संभागीय आयुक्त" प्रतिस्थापित किया जाय.

3. नियम 3 के खण्ड (घ) के कालम (2) के पैरा (ग) में शब्द "संचालक पंचायत" के स्थान पर शब्द "संभागीय आयुक्त" प्रतिस्थापित किया जाय.

4. नियम 5 के उपनियम (1) के खण्ड (क) में शब्द "पंचायत संचालक" के स्थान पर शब्द "संभागीय आयुक्त" प्रतिस्थापित किया जाय.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देवाशीष दास, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 3 अक्टूबर 2009

क्रमांक/पं.-3813/पंग्राविवि/22/2009/1599.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, विभाग की अधिसूचना क्रमांक/पंचा.-3813/पंग्राविवि/22/2009/1598 दिनांक 03-10-2009 में संशोधन बाबत अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देवाशीष दास, विशेष सचिव.

Raipur, the 3rd October 2009

NOTIFICATION

No./P.-3813/PGVV/22/2009/1598.—The following amendments in the Chhattisgarh Panchayat (Appeal and Revision) Rules, 1995, which the State Government proposed to make in exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 95 read with Section 91 of the Chhattisgarh Panchayatraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994), is published as required by sub-section (3) of Section 95 of the said Adhiniyam, for information of all persons likely to be effected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on the expiry of seven days from the date of publication of this notice in the Chhattisgarh Gazette.

Any objections or suggestions regarding the said draft received from any person before the specified period in office hours, by the office of Prinicipal Secretary, Department of Panchayat & Rural Development, Government of Chhattisgarh, Dau Kalyan Singh Bhawan, Mantralaya, Raipur, (Room No. 383) will be considered by Government of Chhattisgarh.

DRAFT AMENDMENT

In the said rules :—

1. In Clause (b) of rule 3 in place of the words "Director of Panchayat" the words "Divisional Commissioner" shall be substituted.

2. In Clause (c) of rule 3 in place of the words "Director of Panchayat" the words "Divisional Commissioner" shall be substituted.

3. In para (c) of column (2) of clause (d) of rule 3 for the words "Director of Panchayat" the words "Divisional Commissioner" shall be substituted.

4. In Clause (a) of sub-rule (1) of rule 5 for the words "Director of Panchayat" the words "Divisional Commissioner" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
DEBASHISH DAS, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.